

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

कमांक प. 4(27)उप/1984

जयपुर, दिनांक: 17 जून, 2014

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 एवं 30.09.2011 के कम में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13-क की उप धारा (1) के अन्तर्गत भूमि की अन्तरणों के विधि मान्यकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि दिनांक 31.12.2014 (इक्कीस दिसम्बर दो हजार चौदह) तक बढ़ाई जाती है।

श्रीधर प्रसाद
मुख्य सचिव

वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री, राजस्थान
जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा सं.

(राकेश राजौरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, श्रीगंगनगर/बीकानेर/हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि प्राप्ति सूचना तीन दिवस में भिजवाने का श्रम करें।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सम्पादक, राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राज-पत्र में दिनांक 17.06.2014 को प्रकाशित करवाकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(राकेश राजौरिया)
शासन उप सचिव